Act No. 26 0 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 16

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 41 का संशोधन ।

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
 - (2) यह 16 जुलाई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, ^{धारा} 41 का र्^{संशोधन}। 2013 का 15 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला—171004.

शिमला: 30 - 4 - 2013

मैं इत विधेयक पर अनुमति देती हैं

उठिपावि राज्यणान १ अञ्चणान

galazizana Sim

शिमला—171002. शिमला:**२ ४**—**7**—2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 16 OF 2013

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 41.

THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

A

BILL

to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 15 of 2013).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Maharaja Agrasen University Short title (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.
- (2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of July, 2012.
- 2. In section 41 of the Maharaja Agrasen University Amendment 15 of 2013 (Establishment and Regulation) Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, of section for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

में, ''महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 16)'' के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

उपिए। हिं राज्यपाल राज्यपाल हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने "महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनिग्नमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 16)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

नियशा भान सिंह सिवव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।